

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 99/2019

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखा:- अजमेर (राज.)
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी

बनाम

- (1) श्री सुगनमल पुत्र श्री जीवत राम
पता- मकान नं. 630 (ईडब्ल्यूएस), जे.पी नगर, नाका मदार, अजमेर (राज.)
- (2) श्रीमती वीणा पत्नी श्री सुगनमल
पता- मकान नं. 630 ईडब्ल्यूएस, जे.पी नगर नाका मदार, अजमेर(राज.)
- (3) श्री संदीप मूंदडा पुत्र श्री हरीनारायण मूंदडा
पता- ए-16, अशोक विहार, शान्तिपुरा, वैशाली नगर, अजमेर(राज.)

.....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सटक्शन
आफ फाईनेनशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :-

श्री सत्येन्द्र खोरानियों

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 21.08.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण श्री सुगनमल पुत्र श्री जीवत राम एवं श्रीमती वीणा पत्नी श्री सुगनमल निवासी:- मकान नं. 630 ईडब्ल्यूएस, जे.पी नगर नाका मदार, अजमेर (राज.) को दिनांक 21.05.2015 को रुपये 5,00,000/- (अक्षरे रुपये पांच लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर मकान नं 630 ईडब्ल्यूएस जे.पी. नगर नाका मदार, अजमेर(राज.) स्थित आवासीय सम्पत्ति, (क्षेत्रफल 50 वर्गगज) जो सुगनमल पुत्र श्री जीवत राम एवं श्रीमती वीणा पत्नी श्री सुगनमल के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं- पूर्व में:-मकान नं. 629, पश्चिम में:- मकान नं. 631, उत्तर में:-यूआईटी प्लॉट, दक्षिण में:- रोड, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.03.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 01.05.2018 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रुपये 4,11,352.80/- (अक्षरे चार लाख ग्यारह हजार तीन सौ बावन एवं अस्सी पैसे) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये



Handwritten signature

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति मकान नं० 630 ईडब्लूएस जे.पी. नगर नाका मदार, अजमेर(राज.) स्थित आवासीय सम्पत्ति, (क्षेत्रफल 50 वर्गगज) जो सुगनमल पुत्र श्री जीवत राम एवं श्रीमती वीणा पत्नी श्री सुगनमल के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं— पूर्व में:—मकान नं. 629, पश्चिम में:— मकान नं. 631, उत्तर में:—यूआईटी प्लॉट, दक्षिण में:— रोड, को, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्त कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को सुनाया गया।



Sharma
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर